रजि० डी०(डी०)-73

REGISTERED No. D.(D.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 13, 1978/वैशाख 23, 1900

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 13, 1978/VAISAKHA 23, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1978

सा० का० नि० 693.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा योजना मंत्रालय के अधीन सांख्यिकी विभाग में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के समंक विधायन प्रभाग एवं सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग में आंकड़ा विधायन निरीक्षक के पद के लिए भर्ती पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:—

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ:— (1) ये नियम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन समंक विधायन प्रभाग एवं सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग (समंक विधायन निरीक्षक) भर्ती नियम, 1978 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पदों की संख्या वर्गीकरण एवं वेतनमान:—उक्त पदों की संख्या उनका वर्गीकरण एवं उनसे संबद्ध वेतनमान वे होंगे जो संलग्न अनुसूची के 2 से 4 कालम में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा एवं अर्हताएं आदि:—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं एवं उनसे सम्बद्ध अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त सूची के 5 से 13 कालम में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हताएं:—

(अ) कोई व्यक्ति जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है या विवाह की संविदा करता है जिसका एक पति/जिसकी एक पत्नी जीवित हो, अथवा

(ब) कोई व्यक्ति जो कि पति/पत्नी के जीवित रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करता/करती है या विवाह की संविदा करता/करती है नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(पी.के. कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्रकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार यदि इस तथ्य से संतुष्ट है कि इस प्रकार का विवाह सम्बद्ध व्यक्ति तथा विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अन्तर्गत अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं तो इस नियम के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को मुक्त कर सकती है।

5. छूट देने की शक्ति :— जहां केन्द्रीय सरकार की राय में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो वहां आदेश द्वारा कारणों को लिपिबद्ध करते हुए और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से मामले में इन नियमों के उपबन्धों में छूट दे सकती है।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों में से कोई भी नियम भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, तथा अन्य प्रवर्गों के व्यक्तियों को दिये जाने वाले आरक्षणों और अन्य सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	प्रवरण पद अथवा अप्रवरण पद	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती वाले व्यक्तियों के लिये अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं
1	2	3	4	5	6	7
समंक विधायन पर्यवेक्षक	112	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'सी' अराजपत्रित (अलिपिकवर्गीय)	रु० 425-800	अप्रवरण	18 और 30 वर्षों के बीच। टिप्पणी:—अधिक आयु सीमा में : (1) सरकारी कर्मचारियों के लिए 35 वर्ष तक छूट है। (2) उल्लिखित आयु सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि प्रत्येक मामले में भारत में अभ्यर्थियों से आवेदनों की प्राप्ति के लिए अन्तिम तारीख होगी। (अण्डमान व निकोबार द्वीपों एवं लक्ष्य द्वीप के संघ शासित क्षेत्रों के निवासियों को छोड़कर।)	अनिवार्य : सांख्यिकी संगठन या यूनिट रिकार्ड मशीन संचालन या कीपंच संचालन में 3 वर्ष के अनुभव के साथ गणित या सांख्यिकीय या अर्थशास्त्र (सांख्यिकीय सहित) में स्नातकोत्तर डिग्री। या गणित या सांख्यिकीय में कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ डिग्री एवं सांख्यिकी संगठन या यूनिट रिकार्ड मशीन संचालन या कीपंच संचालन में पांच वर्ष का अनुभव। वांछनीय : इलैक्ट्रोनिक संगणकों के संचालन या प्रोग्रेमिंग प्रशिक्षण या अनुभव।

क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु व शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति पाने वाले व्यक्तियों के मामले में लागू होती है	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई है तो	भर्ती की पद्धति चाहे सीधी भर्ती से या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा एवं विभिन्न पद्धतियों द्वारा पूरित किए गए रिक्त स्थानों की प्रतिशतता।	भर्ती के मामले में पदोन्नति द्वारा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण ग्रेड उनसे जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति की गई थी।	यदि विभागीय पदोन्नति समिति है तो उसका संगठन क्या है	वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग भर्ती करने के लिए परामर्श करना है
8	9	10	11	12	13
नहीं	2 वर्ष	(अ) 90 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा (ब) 10 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा/ऐसा न होने पर पदोन्नति द्वारा	पदोन्नति: उक्त ग्रेड में 5 वर्ष के नियमित सेवा वाले निरीक्षकों (संगणना/पंचिंग/यंत्र) में से पदोन्नति, ऐसा न होने पर, उक्त ग्रेड में 5 वर्ष की नियमित सेवा वाले समंक विधायन सहायकों में से पदोन्नति।	ग्रुप 'सी' विभागीय पदोन्नति समिति की संरचना : निदेशक, समंक विधायन प्रभाग—अध्यक्ष। निदेशक सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग—सदस्य विशेष कार्य अधिकारी—सदस्य बाह्य कार्यालय से कोई अधिकारी—सदस्य। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक अधिकारी—सदस्य उप-निदेशक (लेखा)—सदस्य उप-निदेशक (प्रशासन)—सदस्य सचिव	लागू नहीं।

[सं० ए० 12018/4/76-एनएसएस-2]
वी०डी० भाटुजा, अवर सचिव

Attested

(पी.के. कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्राकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054

MINISTRY OF PLANNING

(Department of Statistics)

New Delhi, the 27th April, 1978

G. S. R. 603—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Data Processing Supervisor in the Data Processing Division and Survey Design and Research Division of the National Sample Survey Organisation in the Department of Statistics under the Ministry of Planning namely: -

1. Short title and commencement. -(1) These rules may be called the National Sample Survey Organisation, Data Processing Division and Survey Design and Research Division (Data Processing Supervisor) Recruitment Rules, 1978.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay. - The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the schedule annexed hereto.

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc. -The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 13 of the Schedule aforesaid.

4. Disqualifications. — No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules in respect of any class or category of persons.

6. Saving:—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Data Processing Supervisor	112	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted (Non-Ministerial)	Rs. 425-800	Non-Selection	Between 18 and 30 years. Note : The upper age limit is— (1) relaxable for Government servants upto 35 years. (2) The crucial date for determining the age limit mentioned above will in each case, be the closing date for the receipt of applications from candidates in India Other than those in the Union Territories of the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).	Essential: Master's Degree in Mathematics or Statistics or Economics (with Statistics) with 3 years' experience in Statistical Computation or Unit Record Machine Operation or Key Punch operation OR Degree with at least 50% marks in Mathematics or Statistics and 5 years' experience in Statistical Computation or in Unit Record Machine Operation or Key Punch Operation. Desirable: Training or experience in the operation or programming of Electronic Computers.

Attested

(पी.के. कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्राकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स
दिल्ली-110054

Whether age and Educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grade from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
No	2 years	(a) 90% by promotion failing which by direct recruitment. (b) 10% by direct recruitment failing which by promotion.	Promotion: Promotion from Inspectors (Computing/Punching/Machine) with 5 years' regular service in the grade, failing which from amongst Data Processing Assistants with 5 years' regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee Composition:— Director, Data Processing Division —Chairman Director, Survey Design and Research Division —Member Officer-on-Special Duty —Member An officer from outside office — Member An officer belonging to Scheduled Caste/Tribe —Member Deputy Director (Accounts)—Member Deputy Director (Admn.) —Member Secretary.	Not applicable

[No. A-12013/4/76-NSS-II]

V. D. AHUJA, Under Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 27 अप्रैल, 1978

औषधीय एवं प्रसाधन निर्मितियां

सा० का०नि० 604.—केन्द्रीय सरकार, औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 (1955 का 16) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. इन नियमों का नाम औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) (प्रथम संशोधन) नियम, 1978 है।

2. औषधीय और प्रसाधन निर्मितियां (उत्पाद शुल्क) नियम, 1956 के नियम 68—में,

(1) उपनियम (1) में, "एक स्थायी समिति की संरचना इस प्रकार होगी" शब्दों के स्थान पर, "नियम 60 में निर्दिष्ट स्थायी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे" शब्द रखे जायेंगे ;

(2) उपनियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अन्तः स्थापित किए जाएंगे :—

"(4) स्थायी समिति, नियम 60 के उपनियम (2) के अधीन, किसी निर्मित को निर्बन्धित निर्मित घोषित करने से पूर्व, यदि सम्बद्ध व्यक्ति ऐसी वांछा करे तो, उसे, इस मामले में सुनवाई का अवसर देगी।

(5) जहां स्थायी समिति का कोई सदस्य, किसी कारणवश समिति की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो वहां, वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को बैठक में उपस्थित होने के लिए अपनी ओर से नामनिर्दिष्ट कर सकता है।"

[सं० 4/फा०सं० 655/21/76-अफीम]

एन० वी० राघवन आईयर, उप-सचिव

Attested

(पी.के. कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्राकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054

[भाग II—खण्ड

MEDI

G.S.R. 60
Section 19
Duties) Ac
hereby mak

1. These
Preparations

2. In rul
(Excise Du

(i) in
mi
Co
th

(ii) af
in

"(4)

(5)

सा०का०
साथ पठित
में, राष्ट्रपति

इंडिया
टकसाल, ब
पेपर मिल
कलकत्ता (
प्रदेश) के
भी मामने
(टकसाल
निष्पादित

आज

राष्ट्रप

G.S.R.
clause (2
of the C
following

8	9	10	11	12	13
					Note :—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission, a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

[F. No. A-12011/11/78-Estt. (Van)]

M.L. JATAV, Under Secy.

योजना मंत्रालय

(सांख्यिकी विभाग)

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 1980

सा० का० नि० 264—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प व अनुसंधान प्रभाग (समंक विधायन पर्यवेक्षक) भर्ती नियम, 1978 में संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

(1) ये नियम राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प व अनुसंधान प्रभाग (समंक विधायन पर्यवेक्षक) भर्ती (संशोधन) नियम, 1980 कहे जाएं।

(2) ये नियम भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, समंक विधायन प्रभाग तथा सर्वेक्षण अभिकल्प व अनुसंधान प्रभाग (समंक विधायन पर्यवेक्षक) भर्ती नियम, 1978 की अनुसूची में—

(क) कालम 6 में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :

"लागू नहीं होता" ;

(ख) कालम 7 में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

"लागू नहीं होता"; तथा

(ग) कालम 8 में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी अर्थात् :

"लागू नहीं होता"; तथा

(घ) कालम 10 में दी गई प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :

"पदोन्नति द्वारा 100 प्रतिशत"

[सं० ए-12018/4/77-एन०एस०एस०-II]

वी० डी० आहूजा, अवर सचिव

MINISTRY OF PLANNING

(Department of Statistics)

New Delhi, the 21st February 1980

G.S.R. 264.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the National Sample Survey Organisation, Data Processing Division and Survey Design and Research Division (Data Processing Supervisor) Recruitment Rules, 1978 :—

1. (1) These rules may be called the National Sample Survey Organisation, Data Processing Division and Survey Design and Research Division (Data Processing Supervisor) Recruitment (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the National Sample Survey Organisation, Data Processing Division and Survey Design and Research Division (Data Processing Supervisor) Recruitment Rules, 1978,—

(a) in column 6, for the entries, the following entry shall be substituted, namely :

"Not applicable";

(b) in column 7, for the entries, the following entry shall be substituted, namely :

"Not applicable";

(c) in column 8, for the entry, the following entry shall be substituted namely :

"Not applicable"; and

(d) in column 10, for the entry, the following entry shall be substituted, namely :

"100 per cent by promotion".

[No. A. 12018/4/77-NSS-II]

V. D. AHUJA, Under Secy.

Attested

(पी.के. कैलाशा बाबू)
नियंत्रक प्रकाशन
प्रकाशन विभाग, सिविल लाइन्स,
दिल्ली-110054